15/03/2023

[illegible] पेश हुई, बहसनामा [illegible]
[illegible] होते पर [illegible]।
[illegible] पुनः दिनांक 17/04/2023
को पेश हो।

27/03/2023 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी मय वकील के उपस्थित। प्रार्थी का दावा राजीनामा के आधार पर डिक्री/खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

नि. विवेकसिंह
सिविल जज
J.D. [illegible]